प्रकरण मे अहस्ल प्रा·पत्र हेतु वकील प्रार्थी उप-
रहे। अन्यथा एक तरफा बहस सुन कर आदेश
कर दिया जावेगा।/ पत्रावली वास्ते बहस प्रा·पत्र मे
दि 30·6·22 को पेश हो/

(हस्ताक्षर)

1	30·6·22	पत्रावली पेश हुई SDO सा· राजकिय कार्य मे व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1-8-22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	1-8-22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित नही न्यायालय मे वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी को न्यायालय मे तीन अवाजें लगाई गई किन्तु वकील प्रार्थी
2		उपस्थित नही हुए. वकील प्रार्थी को बहस हेतु पूर्व मे कई अवसर दिये गये, किन्तु वकील प्रार्थी उपस्थित नही हुए, उपस्थित पैरोकार तहसीलदार की एक तरफा बहस प्रा·पत्र अ·धा·136 पर सुनी गई, प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ·धा·136 LRA का पेश कर निवेदन इस प्रकार से किया गया। मौजा शम्भू पुरा प·ह· निछोर की खाता स·101 मे आराजी स·1939/353 रकबा 0-32 हेक्टर
29·		भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी अनपढ होकर पढा लिखा नही है। प्रार्थी को उक्त आराजी पर विकास कार्य करवाने व सिचाई के लिए कुआ खुदवाने के लिए ऋण की आवश्यकता
27		होने से प्रार्थी उक्त जमीन की जमाबन्दी व नकशा ट्रेस बैंक मे प्रस्तुत कि[illegible] जमाबन्दी को देख
14·1		कर एवं दस्त[illegible] गया। कि आपकी जाती लुहार [illegible] लगा हुआ है। प्रार्थी को उक्त बात की जानकारी लगते ही प्रार्थी पटवार हल्का गया वहाँ पर पटवारी द्वारा कहा गया। कि इन्द्राज दुरस्त करने के लिए न्यायालय श्रीमान मे प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:44:55 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
पेश करना पडेगा। प्रार्थी को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी मिलते ही प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरुस्ती का पेश किया। प्रा-पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये सूचना पत्र से तलब किया गया, प्रकरण मे विपक्षी पेशकार तहसीलदार बेगू ने उपस्थित होकर जवाब प्रा-पत्र पेश किया जिसका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि ग्राम बिछौर की आ-स-1939/353 रकबा 0.32 है० भूमि रतन लाल पिता मोडा सुथार के नाम दर्ज है। बिन्दु स-2 मे यह भूमि आवन्टन होना बताया है। जबकि आवन्टन के समय की जमाबन्दी नकल इन्तकाल की नकल सिपूर्दगी नामे की नकल संलग्न नही है। अत: जाति सुथार के स्थान पर लुहार किया जाना उचित नही है। प्रकरण मे पेशकार तहसीलदार की एक तरफा बहस सुनी गई एवं हमारे द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत दस्तावेजों मे ग्राम बिछौर का ऐसा कोई दस्तावेज प्रमाणित पेश नही किया जिस्से ये सिद्ध हो सके श्री रतन लाल पिता मोडा लुहार नि- बिछौर है। एवं आवन्टन प्रा-पत्र की भी प्रमाणित प्रति पत्रावली मे पेश नही है। अत: प्रा-पत्र: अ-धा-136 R.R.A का प्रार्थी सिद्ध नही करा पाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नम्बर से कम हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:44:55 IST
Reason: SelfAttested